न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—248/2016/75 (2016/00248)

1. कैलाशचन्द पुत्र मदनदास, जाति साधू, निवासी ग्राम बडला, तह0 सरवाड जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र हगमा जाट (घासल)
2. रामदेव पुत्र जगन्नाथ जाट (हरडू)
   समस्त निवासी ग्राम बड़ला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. राज0सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 17.6.2016 आदेश प्रकरण संख्या 32/2009 .

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—22.5.2019

1. यह अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 17.6. 2016के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 22.6.1992 को ग्राम शेरगढ़ में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर कैलाशचंद पुत्र मदनदास, जाति साधू निवासी ग्राम बड़ला, तहसील सरवाड़ के पक्ष में ग्राम बड़ला के आराजी खसरा नंबर 312 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है । आवंटी कैलाशचंद के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे । विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 17.6.2016 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर अप्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम बड़ला स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 312 रकबा 2–15–00 व खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 पर दिनांक 22.6.1992 अर्थात् संवत् 2049 के पूर्व से ही अपीलांट के पिता मदनदास पुत्र भगवानदास के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं उक्त आराजियात की किस्म बारानी रही है जो संलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2042 से 2062 से सिद्ध है । विवादित आराजियात पर कभी खरीफ तथा कभी रबी दोनों फसलें अपीलांट द्वारा उत्पन्न की जाती रही है । बहस में आगे कथन किया कि आवंटित भूमि में नक्शा ट्रेस अथवा भौतिक रूप से कभी भी कोई रास्ता अथवा सड़क मौजूद नहीं रही है । वास्तविकता यह है कि रास्ता खसरा नंबर 320 के आंशिक भाग पर रामगोपाल पुत्र हरिदास साधू द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को हुए खसरा नंबर 312 व 319 के विरूद्ध आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निराधार है । नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता खसरा नंबर 320 में अवस्थित है जिस पर सड़क बनाई गई है तथा खसरा नंबर 319 पर वर्षो पूर्व से अपीलांट के पिता तत्पश्चात् अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत रास्ता खसरा नंबर 320 के बजाय खसरा नंबर 319 पर मानने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में अधी0न्याया0 के समक्ष स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र भी पेश किये थे । यह भी कथन किया कि यदि अधी0न्याया0 खसरा नंबर 319 पर सड़क होना मानते है तो उन्हें उक्त आराजियात के स्थान पर खसरा नंबर 320 अपीलांट को आवंटन करने बाबत् आदेश पारित करने चाहिये थे। अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–0 बीघा के कितने भाग पर सड़क बनाई गई एवं कितना भाग शेष है जिस पर अपीलांट द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । खसरा गिरदावरी संवत् 2042 लगायत 2062 के अनुसार संपूर्ण रकबा 2–19–00 बीघा पर ज्वार इत्यादि की काश्त दर्ज है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलांट द्वारा मिथ्या कथन, कपटपूर्वक अथवा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया गया हो अथवा अपीलांट आवंटन का पात्र नहीं हो । इन तथ्यों के अभाव में अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यो को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में पारित खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 का आवंटन आदेश दिनांक 22.6.1992 बहाल रखा जावे।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आवंटन के समय आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नहीं था तथा आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा भी जारी नहीं की गई थी । अपीलांट/आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है जिसने उक्त तथ्य छिपाकर आवंटन कराया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे

बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 319 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा पर कोटड़ी से बड़ला जाने वाली सड़क बनी हुई है जो काफी पुराना रास्ता होकर जनप्रयोजनार्थ काम आ रहा है । विवादित भूमि खसरा नंबर 319 रास्ते के उपयोग में आने से इस भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था । यह भी कथन किया कि इस सड़क पर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा डामरीकरण भी किया जाकर पक्की सड़क का निर्माण किया गया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांट/आवंटी का खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा का आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में राज0कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 624, आर0आर0टी0 2016 पेज 93, आर0आर0टी0 2018 पेज 592 एवं 658 तथा आर0आर0टी0 2009 पेज 64 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम बड़ला तहसील सरवाड़ स्थित विवादित आराजियात खसरा नंबर 312 रकबा 2–15–00 एवं खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा दिनांक 22.6.1992 को आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलांट को आवंटित की है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किये जाने पर विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 17.6.2016 द्वारा अपीलांट प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा की हद तक आवंटी/अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है । अधी0न्याया0 ने आवंटन निरस्त करने का आधार यह लिया है कि खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा पर मौके पर बड़ला से कोटड़ी की सार्वजनिक सड़क बनी हुई है जो राजकीय राशि से तैयार की गई है तथा भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 4(च) के अंतर्गत राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नहीं की कि क्या खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा पर बड़ला से कोटडी जाने वाली सड़क अपीलांट को आवंटन की दिनांक से पूर्व विद्यमान थी अथवा आवंटन के बाद बनाई गई है तथा बनी हुई थी तो किस प्रकार की थी तथा क्या उक्त आवंटन आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (एफ) से प्रतिबंधित था यह जांच का विषय थे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नही किया है कि कितने क्षैत्रफल पर सड़क बनी है तथा सड़क के बाद कितनी भूमि काश्त योग्य शेष रहती है। उक्त तथ्यों की जांच के अभाव में अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा का आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश 17.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे इस तथ्य की जांच करे कि क्या बरवक्त आवंटन खसरा नंबर 319 रकबा 2–19–00 बीघा

पर पर बड़ला से कोटड़ी की सड़क विद्यमान थी अथवा नहीं तथा यदि विद्यमान थी तो उसका स्वरूप क्या था तथा कितने क्षैत्रफल पर सड़क निर्मित्त है एवं काश्त योग्य कितना रकबा आवंटन योग्य उपलब्ध है । उपरोक्तानुसार अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर